2019/00413

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

प्रकरण संख्या 175/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्रीमती नाथी देवी पुत्र स्व॰ श्री मन्ना लाल पत्नी श्री छीतर मल जाति रेगर निवासी ग्राम दहमी कलाँ तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम नरेना तहसील सांभर जिला जयपुर।

प्रार्थी

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

बनाम

1. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री रामजीलाल पुत्री स्व॰ श्री मन्ना लाल जाति रेगर निवासी ग्राम दहमी कला तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। हाल निवासी ग्राम पालडी मीणा, आगरा रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
2. श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री हनुमान पुत्री स्व॰ मन्ना लाल जाति रेगर हाल निवासी पालडी मीना आगरा रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
3. ओम प्रकाश पुत्र स्व॰ श्री मन्ना लाल जाति रेगर निवासी ग्राम दहमी कला तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4. राजेश कुमार पुत्र स्व॰ श्री सुवालाल जाति रेगर निवासी ग्राम दहमी कला तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 जाब्ता दीवानी बाबत किये जाने मुन्तकिल प्रकरण संख्या 7/2018 उनवानी प्रेम देवी बनाम नाथी देवी किस्म धारा 135(2) एल आर एक्ट, न्यायालय तहसीलदार सांगानेर को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने ।

उपस्थितः–

1. श्री महेश गोस्वमी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 25-11-2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम दहमी कला पटवार हल्का दहमी कला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 630 लगायत 634 व 363 कुल किता 6 रकबा 3.88 हैक्टेयर स्थित है। जिसके नामान्तरकरण संख्या 860 जिसे अप्रार्थीगण ने चुनौती दी, जिसे निरस्त करते हुये माननीय संभागीय आयुक्त ने तहसीलदार को निर्देशित किया कि उभय पक्षों को सुन कर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करें। जिसके कम में अप्रार्थीगण ने तहसीलदार सांगानेर की अदालत में धारा 135(2) एल आर एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जो माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 7/2018 विचाराधीन है। तहसीलदार सांगानेर के यहां उक्त पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25.03.2019 से चली आ रही है तथा उभय पक्षों द्वारा अभिवचन, साक्ष्य व बहस हो चुकी है तथा प्रार्थिया के वकील को

जिला कलक्टर
जयपुर

तहसीलदार जी कहते है कि वकील साहब कोई दूसरा मुकदमा देखें, इसमें तो मै मेरी मर्जी के अनुसार फैसला करूंगा जिसके बाववूद तहसीलदार सांगनेर द्वारा उक्त प्रकरण में आज तक भी कोई फैसला नही किया गया एवं तारीख पर तारीख देते चले आ रहे है। जिसकी शिकायत प्रार्थिया द्वारा उच्चाधिकारियों व सरकार में की जा चुकी है। जिसके कारण आनन फानन में तहसीलदार सांगानेर उक्त प्रकरण में फैसला प्रार्थिया के विरुद्व करने पर आमादा है। प्रार्थिया को तहसीलदार सांगानेर से न्याय की कतई उम्मीद नही है। इसलिए प्रार्थिया की पत्रावली को अन्यत्र मुन्तकिल किया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नसैर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये इसी भावना को मध्यनजर रखते हुये तहसीलदार सांगानेर के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित समझते है। परिणामतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

[redacted]

5. तहसीलदार सांगानेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 7/2018 उनवानी प्रेम देवी बनाम नाथी देवी किस्म धारा 135 (2) एल आर एक्ट को तहसीलदार फागी को मुन्तकिल किया जाता है।
6. तहसीलदार फागी प्रकरण दर्ज कर उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा तहसीलदार सांगानेर एवं फागी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
8. निर्णय आज दिनांक 25-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर

[redacted]